Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 2 | (April – June 2026)

प्राथमिक शिक्षा में प्रभावी शिक्षण-अधिगम हेतु मातृभाषा की भूमिका : एक अध्ययन

मुन्ना राम महतो [1], डॉ. शिल्पी राज [2]
[1] शोधार्थी, शिक्षा विभाग, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
[2] सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न आयामों के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ भाषाएँ केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान की वाहक भी हैं। ऐसे में शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यथासंभव उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नीति का मानना है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे विषय-वस्तु को अधिक सहजता से समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति बेहतर ढंग से कर पाते हैं तथा उनकी रचनात्मक एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का अधिक प्रभावी विकास होता है। मातृभाषा आधारित शिक्षण न केवल सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है, बल्कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ता है। हालाँकि, किसी भी शैक्षिक नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर समान रूप से है। मातृभाषा आधारित शिक्षा को सफल बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री, प्रशिक्षित शिक्षकों, उपयुक्त शिक्षण-संसाधनों तथा प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है। यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा आधारित शिक्षण-अधिगम की अवधारणा, उसकी प्रासंगिकता, संभावनाओं तथा चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के निर्माण में मातृभाषा की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।

कुंजी शब्द: प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा आधारित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षण- अधिगम, बहुभाषिकता।

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारतीय भाषाओं को शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए अनिवार्य मानते हुए प्रादेशिक भाषाओं और त्रि-भाषा सूत्र पर बल दिया था। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता बढ़ाना और आम जनता के बीच की दूरी को कम करना था। लगभग चार दशकों के बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार है। इस नीति का सबसे प्रमुख प्रावधान यह है कि कम से कम कक्षा 5 तक, और जहाँ तक संभव हो कक्षा 8 या उससे आगे भी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। नीति के अनुसार, बच्चे अपनी पहली भाषा में अधिक सहजता से सीखते हैं, जिससे उनकी समझ, अभिव्यक्ति और अधिगम क्षमता का सर्वोत्तम विकास होता है। इसके साथ ही, दूसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। एनईपी 2020 केवल किसी एक भाषा के शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि

यह मातृभाषा आधारित शिक्षा और बहुभाषिकता दोनों को समान महत्व देती है। यह दृष्टिकोण भारतीय समाज की भाषाई विविधता को एक समस्या के बजाय एक समृद्ध शैक्षिक संसाधन के रूप में स्थापित करता है।

मातृभाषा और शिक्षा का महत्व: शोध अध्ययनों से स्पष्ट है कि बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपनी मातृभाषा के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान स्थायी, अर्थपूर्ण और सहज होता है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की संवाहक भी है। बालक इसे अपने परिवार और परिवेश से स्वाभाविक रूप से सीखता है, जो उसके बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की आधारशिला बनती है। भारत एक समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, जहाँ संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1500 भाषाएँ व बोलियाँ प्रचलित हैं। इस बहुलता के कारण बहुभाषावाद को शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है। मातृभाषा के माध्यम से विकसित होने वाला बालक आगे चलकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संवाद के लिए अन्य भाषाएँ भी सीखता है; अतः मातृभाषा और बहुभाषिकता एक-दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के माध्यम को लेकर निरंतर बहस होती रही है। विभिन्न आयोगों की सिफारिशों और त्रि-भाषा सूत्र के बावजूद, आज भी अनेक बच्चों को ऐसी भाषा में पढ़ना पड़ता है जो उनकी मातृभाषा नहीं है। इससे उन्हें विषय-वस्तु समझने और अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेज़ी माध्यम एक बड़ी चुनौती बन जाता है, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। अतः वर्तमान समय में शिक्षा के सभी स्तरों पर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। इससे न केवल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी और बाल-केंद्रित बनेगी, बल्कि शिक्षा में सामाजिक समानता, भाषाई समावेशन और सांस्कृतिक संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

भाषा का महत्व और त्रि-भाषा सूत्र: भाषा मानव जीवन, ज्ञानार्जन और रचनात्मक चिंतन का आधार है, जो अपने भीतर ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं का भंडार समेटे होती है। विचारों और भावनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही संभव है, इसलिए शिक्षा और अधिगम में इसका स्थान सर्वोपरि है। इसी महत्व को रेखांकित करते हुए स्वतंत्रता के बाद विभिन्न शिक्षा आयोगों ने भाषा संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। कोठारी आयोग (1964–66) ने देश की भाषाई विविधता को देखते हुए त्रि-भाषा सूत्र की अनुशंसा की, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी निरंतर बनाए रखा गया है। NCF 2005 ने बच्चों के ज्ञान निर्माण में भाषा की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करते हुए मातृभाषा और घरेलू भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में विशेष महत्व दिया। इसके तहत आवश्यकतानुसार आदिवासी भाषाओं को भी शिक्षा में शामिल करने की अनुशंसा की गई। साथ ही, अंग्रेज़ी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संतुलित रूप में स्थान देने की बात कही गई। इस प्रकार, भारतीय समाज की बहुभाषिकता को एक समस्या नहीं, बल्कि एक समृद्ध शैक्षिक संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मातृभाषा आधारित शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारतीय भाषाओं को शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए अनिवार्य मानते हुए प्रादेशिक भाषाओं और त्रि-भाषा सूत्र पर बल दिया था। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता बढ़ाना और आम जनता के बीच की दूरी को कम करना था। लगभग चार दशकों के बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार है। इस नीति का सबसे प्रमुख प्रावधान यह है कि कम से कम कक्षा 5 तक, और जहाँ तक संभव हो कक्षा 8 या उससे आगे भी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। नीति के अनुसार, बच्चे अपनी पहली भाषा में अधिक सहजता से सीखते हैं, जिससे उनकी समझ, अभिव्यक्ति और अधिगम क्षमता का सर्वोत्तम विकास होता है। इसके साथ ही, दूसरी भाषा के

रूप में अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। एनईपी 2020 केवल किसी एक भाषा के शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मातृभाषा आधारित शिक्षा और बहुभाषिकता दोनों को समान महत्व देती है। यह दृष्टिकोण भारतीय समाज की भाषाई विविधता को एक समस्या के बजाय एक समृद्ध शैक्षिक संसाधन के रूप में स्थापित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता को शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार मानते हुए विद्यार्थियों में भाषायी दक्षता, संप्रेषण कौशल और सीखने की क्षमता के विकास पर बल देती है। नीति के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा परिचित भाषा के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी समझ और अभिव्यक्ति क्षमता का बेहतर विकास हो सके। विद्यालय-पूर्व स्तर से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं से परिचित कराने तथा प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने-लिखने के कौशल विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीति विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से अन्य भाषाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है तथा उच्च कक्षाओं में विज्ञान जैसे विषयों को द्विभाषिक रूप में पढ़ाने का सुझाव देती है। इससे विद्यार्थियों को जटिल अवधारणाओं को समझने में सहायता मिलती है और वे विभिन्न भाषाओं में ज्ञान अर्जित करने में सक्षम बनते हैं। इसके अतिरिक्त, नीति दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language) के मानकीकरण और उपयोग पर भी बल देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह स्वीकार करती है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा और घर में बोली जाने वाली भाषा हमेशा एक समान नहीं होती। इसलिए राज्यों को अपनी भाषाई विविधता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की अनुशंसा की गई है। त्रि-भाषा सूत्र नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएँ शामिल हों। इसका उद्देश्य बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, भाषाई समावेशन सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना तथा विद्यार्थियों को विविध भाषाओं और संस्कृतियों से परिचित कराना है। इस प्रकार नीति भाषाई विविधता के संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति यह स्वीकार करती है कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेज़ी का महत्व बढ़ रहा है, किंतु इसके साथ भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास पर भी समान ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा आधारित शिक्षा और बहुभाषिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रि-भाषा सूत्र को विशेष महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य बहुभाषावाद, राष्ट्रीय एकता तथा विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है। नीति के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक, और जहाँ संभव हो उससे आगे भी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने तथा श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु सांकेतिक भाषा में सामग्री विकसित करने पर भी बल दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं तथा एक विदेशी भाषा के अध्ययन का अवसर दिया जाएगा, किंतु विदेशी भाषा त्रि-भाषा सूत्र का विकल्प नहीं होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रभावी बहुभाषिक संचार क्षमता का विकास करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खंड 4.11 में यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक तथा बेहतर होगा कि कक्षा 8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, घर की भाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा हो। यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

इस पहल का उद्देश्य बच्चों को उनकी परिचित भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सहज बनाना है।

नीति केवल मातृभाषा में शिक्षण की अनुशंसा ही नहीं करती, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी बल देती है। इसके अंतर्गत विज्ञान सहित सभी विषयों की उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, यदि विद्यार्थी की घरेलू भाषा और विद्यालय की शिक्षण भाषा में अंतर हो, तो उस अंतर को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही गई है। जहाँ पाठ्यसामग्री उपलब्ध न हो, वहाँ शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद यथासंभव घर की भाषा में बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। इससे शिक्षा अधिक समावेशी और बालक-केंद्रित बन सकेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भाषा एवं क्रियान्वयन का दृष्टिकोण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया गया था, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक बाधाएँ सामने आईं। स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों की कमी तथा उन भाषाओं में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव इसके प्रमुख कारण रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन चुनौतियों को पहचानते हुए उनके समाधान पर विशेष ध्यान देती है, जिससे यह पूर्ववर्ती नीति की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक और क्रियान्वयन-उन्मुख दिखाई देती है।

संस्कृत भाषा के संदर्भ में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विशेष प्रावधान किए हैं। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी संस्कृत को त्रि-भाषा सूत्र के अंतर्गत महत्व दिया गया था, परंतु नई नीति संस्कृत को विद्यालयी और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समृद्ध और महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही संस्कृत की ज्ञान-परंपरा और भारतीय बौद्धिक विरासत को समझने पर भी बल दिया गया है। नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संस्कृत को यथासंभव संस्कृत माध्यम से, रुचिकर, अनुभवात्मक और समकालीन संदर्भों से जोड़कर पढ़ाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही, संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को सरल, मानक और रोचक भाषा में तैयार करने की बात कही गई है, ताकि विद्यार्थियों में इस भाषा के प्रति रुचि विकसित हो सके। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल भाषा संबंधी प्रावधानों की घोषणा नहीं करती, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति भी प्रस्तुत करती है। यही विशेषता इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से अधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुख बनाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषिकता और भाषा-अधिगम: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान "द लैंग्वेज ऑफ इंडिया" परियोजना है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विरासत और बहुभाषी परंपरा से परिचित कराया जाता है। यह गतिविधि विद्यार्थियों में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को भी सुदृढ़ करती है। नीति की एक प्रमुख विशेषता त्रि-भाषा सूत्र में निहित लचीलापन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी तथा राज्यों और विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भाषाओं के चयन की स्वतंत्रता होगी। यह व्यवस्था भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए शिक्षा को अधिक समावेशी बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेज़ी के महत्व को भी स्वीकार करती है तथा बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इससे विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता, संप्रेषण क्षमता और भविष्य के शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का विस्तार होता है। नीति विभिन्न शोधों पर आधारित है, जिनसे यह सिद्ध हुआ है कि बच्चे मातृभाषा में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं और एक से अधिक भाषाएँ आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए नीति बहुभाषिक शिक्षा तथा भाषाओं के चयन में लचीलापन प्रदान कर शिक्षा को अधिक बालक-केंद्रित और प्रभावी बनाने का प्रयास करती है।

मौलिक साक्षरता, संख्यात्मकता और मातृभाषा आधारित शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य ग्रेड 5 तक सभी बच्चों में मौलिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता (Foundational Literacy and Numeracy) सुनिश्चित करना है। नीति के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति में भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे जिस भाषा को समझते और बोलते हैं, उसी भाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने पर वे पढ़ने, लिखने और गणितीय अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। इसके विपरीत, जब शिक्षण ऐसी भाषा में होता है जिसे विद्यार्थी अच्छी तरह नहीं समझते, तो उनकी सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है और इसका प्रभाव उनकी संपूर्ण शैक्षिक प्रगति पर पड़ता है।

कई बार विद्यार्थी अपनी बात को दूसरी भाषा में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे उनका आत्मविश्वास और शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप वे न्यूनतम साक्षरता और संख्यात्मक कौशल भी अपेक्षित स्तर पर विकसित नहीं कर पाते। इसलिए मातृभाषा या घरेलू भाषा में शिक्षण को बच्चों के समग्र अधिगम और शैक्षिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालयों में स्थानीय समुदाय की भाषाई आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का माध्यम उपलब्ध हो। साथ ही विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी सहित अन्य भाषाओं के ज्ञान से भी वंचित न किया जाए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, द्विभाषिक शिक्षण संसाधनों का विकास तथा शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण जैसे कदम उठाना आवश्यक होंगे। इससे मातृभाषा आधारित शिक्षा के सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे।

1. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाओं के योग्य युवाओं का अध्यापक के रूप में चयन - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय भाषाओं में दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज, प्रभावी और रुचिकर बनाता है। स्थानीय भाषा जानने वाले शिक्षक विद्यार्थियों की भाषाई तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझते हैं, जिससे शिक्षक-विद्यार्थी संवाद सुदृढ़ होता है और अवधारणाओं की समझ विकसित होती है। इससे प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों की सहभागिता, आत्मविश्वास और शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे शिक्षक स्थानीय भाषा में दक्ष होने के साथ-साथ विषय ज्ञान और शिक्षण कौशल से भी समृद्ध हों। अतः शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण तथा भाषा दक्षता के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. अध्यापकों के स्थानांतरण को न्यूनतम करना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा आधारित शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के स्थानांतरण को यथासंभव सीमित करना आवश्यक है। बार-बार स्थानांतरण होने से शिक्षक स्थानीय भाषा, संस्कृति और सामाजिक परिवेश से पर्याप्त रूप से जुड़ नहीं पाते, जिससे शिक्षण की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ स्थानीय भाषाओं का व्यापक प्रयोग होता है, भाषा से अपरिचित शिक्षक विद्यार्थियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। इससे बच्चों की समझ, सहभागिता और सीखने की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शिक्षक नियुक्ति और स्थानांतरण नीति में स्थानीय भाषा दक्षता को महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही, जहाँ संभव हो, स्थानीय भाषा और संस्कृति से परिचित शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा अनावश्यक स्थानांतरण को कम किया जाना चाहिए। इससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी और मातृभाषा आधारित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

3. अध्यापकों के स्थानांतरण की पारदर्शी नीति- मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों की

स्थानांतरण नीति पारदर्शी और सुविचारित होनी चाहिए। कई बार शिक्षकों का स्थानांतरण ऐसे क्षेत्रों में कर दिया जाता है जहाँ उनकी भाषा विद्यार्थियों की मातृभाषा से भिन्न होती है। इससे विशेषकर प्राथमिक स्तर पर संवाद और सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए स्थानांतरण के समय स्थानीय भाषाई परिस्थितियों और शिक्षक की भाषा दक्षता को महत्वपूर्ण मानदंड बनाया जाना चाहिए। स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षक विद्यार्थियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं तथा शिक्षण को अधिक सरल और प्रभावी बना सकते हैं। इससे मातृभाषा आधारित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

4. ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन- मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि अनेक शिक्षक शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति को प्राथमिकता देते हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, विशेष भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान शिक्षकों को इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता बढ़ेगी और मातृभाषा आधारित शिक्षण को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा।

5. स्थानीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता- मातृभाषा आधारित शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में अनेक स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ सामग्री तथा शिक्षण-सहायक संसाधनों का अभाव देखा जाता है, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस चुनौती के समाधान हेतु स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं, प्रशासनिक निकायों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। ये संस्थाएँ मानकीकृत पाठ्यसामग्री का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद, विकास और प्रकाशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही, राज्य सरकारों को स्थानीय भाषाओं में डिजिटल एवं मुद्रित शिक्षण संसाधनों के निर्माण और प्रसार के लिए विशेष योजनाएँ बनानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देते हुए शिक्षण-अधिगम में मातृभाषा को विशेष महत्व दिया है। नीति के अनुसार, सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में कम से कम कक्षा 5 और अधिमानतः कक्षा 8 या उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। बहुभाषिकता और भाषाई समावेशन को शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़ा गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य केवल भाषा सिखाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की समझ, रचनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि को मजबूत करना है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया से सहजता से जोड़ती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखती है। हालाँकि, स्थानीय भाषाओं में पाठ्यसामग्री की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और प्रशासनिक जटिलताएँ इसके क्रियान्वयन में बड़ी चुनौतियाँ हैं। फिर भी, उचित योजना और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। यदि इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और बाल-केंद्रित बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। वास्तव में, मातृभाषा ही ज्ञानार्जन और व्यक्तित्व विकास की सुदृढ़ आधारशिला है।

इसी सत्य को भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है—

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल॥"

संदर्भ सूची :

1. Mohanty, A. K. (2009). *Multilingual Education: A Bridge Too Far?* In Social Justice through Multilingual Education. New Delhi: Orient Blackswan.
2. अन्नामलाई, ई. 2006, इंडिया लैंग्वेज सिचुएशन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पृष्ठ संख्या 60 613, एल्सेविएर 8 अक्तूबर 2020 को https://doi.org/10.1016/B0-08-044854-2/04611-3 से प्राप्त किया गया है।
3. कंगरजा, एस. और एच, अशरफ, 2013. मल्टीलिंगुअलिज्म एंड एजुकेशन इन साउथ एशिया- रिज पॉलिसी प्रैक्टिस डिलेमा. एनुअल रिव्यू ऑफ़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. 33, पृष्ठ संख्या 258-285. 8 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1017/S0267190513000068. से प्राप्त किया गया है।
4. मानव संसाधान विकास मंत्रालय, 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 5 अक्तूबर, 2020 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_...
5. नम्बीसन, जी. बी. 1994. लैंग्वेज एंड स्कूलिंग ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन-इश्यूज़ रिलेटेड टू मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इकोनॉम एंड पॉलिटिकल वीकली
6. मानव संसाधान विकास मंत्रालय, 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 5 अक्तूबर, 2020 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया है।
7. रामनाथन, वी. 2005 अंबिग्विटीज़ अबाउट इंग्लिश आईडियोलॉजी एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस इन वर्नाक्यूलर मौरिय कॉलेज क्लासरूम इन गुजरात, इंडिया जर्नल ऑफ़ लैंग्वेज आईडेंटिटी एंड एजुकेशन. 4(1), पृष्ठ संख्या 45 https://doi.org/10.1207/s15327701jlie0401_3 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त किया गया है.
8. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/languagebe 5 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त किया गया है।
9. श्रीधर, के. के. 1991. बाइलिंगुअल एजुकेशन इन इंडिया इन फ़ोकस ऑन बाइलिंगुअल एजुकेशन, पृष्ठ संख्या 89. बेंजामिन्स पब्लिशिंग कंपनी. 4 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1075/z. से प्राप्त किया गया है.
10. हामीद, एम.ओ., एच.टी.एम., न्गुयेन, और आर. बी. बाल्दौफ. 2013. मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इन एशिया-कटिसर प्रोसेसेस एंड आउटकम्स करंट इश्यूज इन लैंग्वेज प्लानिंग. 14(1), पृष्ठ संख्या 1-15. 8 अक्तूबर, 2020 को doi.org/10.1080/14664208.2013.792130 से प्राप्त किया गया है.
11. NCERT. (2005). *National Curriculum Framework (NCF) 2005.* New Delhi: National Council of Educational Research and Training.